न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 06/2019

निर्णय दिनांक

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का 3 एल.के.डी (बी) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (सायल)

बनाम

रामी देवी पत्नी स्व. भारमल, भगवानाराम, श्रवण कुमार, गौरीशंकर, पिसरान भारमल कौम विश्नोई साकिन रासीसर हाल पटेल नगर बीकानेर

(गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 3 एल.के.डी (बी) ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल रामी देवी पत्नी स्व. भारमल, भगवानाराम, श्रवण कुमार, गौरीशंकर, पिसरान भारमल कौम विश्नोई साकिन रासीसर हाल पटेल नगर बीकानेर ने कृषि सम्वत् 2076 फसल खरीफ में चक 3 एल.के.डी (बी) के मु.न. 223/32 कि.न. 21/1 =0.01, 22/1=0.01, 23/1= 0.01, 24/1= 0.01, 25 = 0.01 कुल 0.05 बीघा कमाण्ड भूमि पर मूंगफली की फसल काश्त कर गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाफर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल का पूर्ण पता (निवास स्थान) नही होने के कारण नोटिस तामिल नही हो सका। चूंकि उक्त प्रकरण गैरमुमकिन रास्ते से संबधित है, जिस पर अतिक्रमण होने से आमजन के आवागमन में दुविधा उत्पन्न हो रही है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर मौके पर गैरमुमकिन रास्ता खुलवाया जाना अनिवार्य है। अतः गैरसायल के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड़ का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

उक्त प्रकरण मे गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 23 रू अक्षरे तेईस रूपये शास्ति आरोपित कर, मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने एवं गैरसायल को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है ।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली बाबत बावत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीव की जावें।

निर्णय आज दिनांक ..03/10/19... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह नैण)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner